117 182 347

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट–कोर्ट रीवा, जिला रीवा

(म0प्र0)

392 / 18.7.14

[Court fee stamp: 20 COURT FEE ... TWENTY RUPEES] Rs. 20/-

R - 2432 - III/14

कन्हैयालाल पटेल तनय मथुरा प्रसाद पटेल, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम–बराँव, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0),

———निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम्

दूधनाथ शर्मा तनय रामाराव, निवासी ग्राम–बराँव, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0),

———गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

द्वारा आज दिनांक 18-07-14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2371 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 23-7-14 को प्राप्त। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार तहसील–हनुमना, जिला–रीवा दिनांक 19.03.2014 जो प्रकरण क्र. 14–अ–74/2013–14 में पारित किया जाकर पूर्व से तरमीम नक्शे पर गैरनिगरानीकर्ता द्वारा नक्शा सुधार का आवेदन स्वीकार किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

::प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य ::

1. यह कि इस प्रकरण के आवेदक ने भूमि खसरा नं. 2324/1घ रकवा 0.23 एकड़ भूमि स्थित ग्राम–बराँव, तहसील–हनुमना जिला–रीवा को मथुरा तनय चित्रसेन पटेल साकिन– बराँव से दिनांक 05.07.95 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में दर्ज चौहद्दी के

कन्हैयालाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R2432-III /14 — जिला–रीवा

कन्हैयालाल पटेल/ दूधनाथ शर्मा

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 14/अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	